

2018/00343

फर्द अहकाम
(नियम-26)

न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

बनाम
किस्म मुकदमा
मुकदमा नं.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13/6/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/342 दिनांक 13.6.18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में प्रार्थीगण के नाम चक अमरका की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के खाता नं. 37 में खातेदार सुरेश शं. नरसिंह के द्वारा अंकित है। जिसका नाम सुरेश शं. नरसिंह के द्वारा सुरेश शं. नरसिंह के द्वारा सुरेश शं. नरसिंह की दुरुस्ती की जाने की अभिशांषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 13/6/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक अमरका के खाता नं. 2070-73 में दर्ज खातेदार सुरेश शं. नरसिंह के द्वारा सुरेश शं. नरसिंह की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला कलक्टर
रायसिंहनगर द्वार-2018
कैम्प कोर्ट
संप्रखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर